

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 22-22/2018/आठ
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/10/2018

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय:- आगामी विधान सभा चुनाव 2018 तथा भविष्य में होने वाले लोक सभा चुनाव आम चुनाव एवं उप चुनाव के दौरान लगाए जाने वाले शासकीय/अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय वाहनों के किराये की दरों का निर्धारण बाबत।

---000---

राज्य शासन एतद् द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव 2018 तथा भविष्य में होने वाले लोक सभा चुनाव, आम चुनाव एवं उप चुनाव के दौरान लगाए जाने वाले शासकीय/अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय वाहनों के किराये की दरों के पुनर्निर्धारण निम्नानुसार करता है :-

स. क	वाहनों का प्रकार	दैनिक किराया 12 घंटे से अधिक (रु.में) (बगैर पी.ओ. एल के)	दैनिक किराया 12 घंटे तक (रु.में) (बगैर पी.ओ.एल के)	किराया प्रति कि.मी. डीजल सहित (रु. में) ।	पी.ओ.एल. की खपत किमी/ प्रति लीटर
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	यात्री बस				
	13-22 सीटर तक	1500	1000	30	07
	23-32 सीटर तक	2000	1500	35	06
	32 सीटर से अधिक	2500	1750	45	04
2.	माल वाहक (लोडिंग वाहन)				
	एक से तीन टन तक परिवहन क्षमता	1000	700	15	12
	तीन से साढ़े सात टन तक परिवहन क्षमता	1500	1000	20	06
	साढ़े सात से बारह टन तक परिवहन क्षमता	2000	1200	25	04
	बारह टन से अधिक परिवहन क्षमता	2500	1500	30	03
3.	टैक्सी/मेक्सी वाहन श्रेणी				
	1 इण्डिका कार	1250	1100	8/ नॉन ए. सी	16
				9/ ए. सी	15

2 इण्डिगो/स्वीफ्ट /डिजायर कार	1500	1200	9/नॉन ए. सी. 10/ए.सी	16 15
ट्रैवेरा कार	1500	1300	9/नॉन ए.सी 11 ए.सी	16 15
4 स्कोरपियो/बोलेरो	1500	1300	12/नॉन ए.सी 13 ए.सी	11 10
5 इनोवा	2000	1500	13/नॉन ए.सी 15 ए.सी	11 10
6 मारुती एस एक्स फोर	1600	1300	13/नॉन ए.सी 15 ए.सी	09 08
7 टाटा सूमो	1200	800	13/नॉन ए.सी 14 ए.सी	10 10
8 तूफान/कूजर	1500	1000	12/-	10
9 टाटा मैजिक	1400	1000	11/-	10
4. ट्रैक्टर ट्राली सहित	1250	750	7.5/-	06

2/- वाहनों के किराये के दरों की अधिकतम वृद्धि सीमा 25 प्रतिशत निर्धारित करते हुये वित्त विभाग के जावक कर्मांक 916/985/2018 दिनांक 17.09.2018 के माध्यम से सहमति प्राप्त की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कमल नागर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग
भोपाल, दिनांक 6/10/2018

पु.क्रमांक एफ 22-22/2018/आठ
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. अपर परिवहन आयुक्त, (प्रवर्तन) परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर।
7. समस्त संभागीय उप परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय/क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश 17, अरेरा हिल्स, भोपाल

पु.क्रमांक 14/2/बजट/2018/16625

दिनांक 06/11/2018

प्रतिलिपि:

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन समस्त म.प्र की ओर प्रेषित कर लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 22-22/2018/आठ दिनांक 06.10.2018 के अनुसार कृपया कार्यवाही करना सुनिश्चित की जावे।

(संयुक्त मु.नि.प. द्वारा आदेशित)

(अनास्तासिया) कुजूर
उप संचालक (वित्त)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश